अनियमितता अनियमितताएं सामने आने पर 15 दिन के लिए किया गया निलंबित

स्टाफ नर्स के बिना चल रहा था मंजूषा नर्सिंग होम

निलंबन अवधि के दौरान नए मरीज नहीं होंगे भर्ती

नवभारत,जबलपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल द्वारा मंजूषा नर्सिंग होम, सदर रोड, जबलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में रिकॉर्ड संधारण, दस्तावेजीकरण एवं मरीज संबंधी अभिलेखों के रखरखाव में विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। जिसके बाद मंजूषा नर्सिंग होम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए उसके संचालन को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। यानि साफ है कि 15 दिनों तक नर्सिंग होम बंद ही रहेगा। विदित हो कि विगत 3 जून के अंक में इस नर्सिंग होम में अनियमितताओं को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को ये कार्रवाई की गई है।

कुछ इस तरह पाईं गईं अनियमितताएं

जांच के दौरान यह पाया गया कि मंजूषा नर्सिंग होम में उपचार संबंधी अभिलेख एवं केस फाइलें समुचित रूप से संधारित नहीं की गई थीं, आवश्यक लिखित सहमति पत्र उपलब्ध नहीं थे, निरीक्षण के समय प्रशिक्षित स्टाफ नर्स उपलब्ध नहीं पाई गई तथा मरीजों की जानकारी अनमोल पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड संधारण एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई।

उक्त तथ्यों के आधार पर संस्थान को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूग्णोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है तथा संस्थान को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 7 दिवस का समय दिया गया है।

साथ ही जनहित एवं मरीज सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मंजूषा नर्सिंग होम का संचालन तत्काल प्रभाव से 15 दिवस की अवधि हेतु अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संस्थान किसी भी नवीन मरीज को भर्ती नहीं करेगा।

मेडिकल में हुई थी महिला की मृत्यु

गौरतलब है कि शिकायत से संबंधित महिला मरीज की मृत्यु नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, जबलपुर में हुई है। मृत्यु के वास्तविक कारणों एवं उपचार संबंधी चिकित्सकीय अभिमत के संबंध में मेडिकल कॉलेज स्तर पर विस्तृत जांच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत तथा संस्थान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण के बाद नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दो एएसपी का ग्वालियर-शिवपुरी से जबलपुर तबादला

नवभारत,जबलपुर। मप्र शासन के गृह विभाग ने शुक्रवार को आठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जिसमें दो एएसपी जबलपुर के खाते में आ गए। ग्वालियर में अति पुलिस अधीक्षक रही सुश्री अनु बेनिवाल और शिवपुरी में पदस्थ एसडीओपी रहे आयुष जाखड़ को जबलपुर अति. पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा गया है। विदित हो कि जिला शहर और ग्रामीण अंचल को पांच जोनों में बांटा हुआ है लेकिन 2 मई को पुलिस महकमे में हुए बदलाव के बाद शहर एएसपी रहे आयुष गुप्ता का तबादला कर पुलिस उपायुक्त जोन 3 नगरीय भोपाल बनाया गया था इसके बाद से जिले में एक एएसपी का पद रिक्त बढ़ा हुआ था और चार एएसपी थे। जोन-1 एएसपी सिटी का प्रभार क्राइम एएसपी जिते न्द्र सिंह संभाल रहे थे। जबकि जोन-2 एएसपी सुश्री पल्लवी शुक्ला और एएसपी सूर्यकांत शर्मा जोन 3 ग्रामीण की कमान संभाल रहे है। इसी प्रकार यातायात एएसपी जोन 4 अंजना तिवारी को जिम्मा है। जोन 5 की कमान भी एएसपी जितेन्द्र सिंह के जिम्मे है। अब दो नए एएसपी की जबलपुर में आमद के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त होगी बल्कि पुलिसिंग में कसावट आयेगी।

उप मुख्य अभियंता 8 तक सीबीआई रिमांड पर

सागर से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई टीम ने कोर्ट में किया पेश

नवभारत, जबलपुर। सुरक्षा जमा राशि की रिहाई, लंबित बिलों के भुगतान और पीवीसी बकाया के रूप में एक लाख रूपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रेल्वे के उप मुख्य अभियंता नारायण सिंह बुंदेला को सीबीआई शुक्रवार को सागर से जबलपुर लेकर पहुंची। इसके बाद उसे विशेष न्यायालय में पेश किया गया जहां सीबीआई ने रिमांड की डिमांड कर दी।जिसके बाद कोर्ट ने रिश्वतखोर को 8 जून तक रिमांड देते हुए उसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। आरोपित से अब सीबीआई लंबी पूछताछ में जुट गई है जिसमें नए खुलासे होने की उम्मीद है।

क्या है मामला

सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक प्यासी पिता राम कुमार प्यासी 43 वर्ष, निवासी लोधीपुरा, पथरिया जाट, सिरोंजा, जिला सागर ने गुरूवार को सीबीआई कार्यालय, जबलपुर में पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, जबलपुर को एक लिखित शिकायत करते हुए बताया था किपश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के उप मुख्य अभियंता द्वितीय नारायण सिंह बुंदेला ने लगभग 1 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान सुरक्षा जमा राशि 67,84,820 रुपये, लंबित बिल 18,67,169.84 रुपये और पीवीसी से संबंधित कुछ बकाया की रिहाई के लिए 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है।

सर्चिंग मे मिले 62 हजार नकदी, निवेश के दस्तावेज

आरोपी के गेस्ट हाउस के कमरे की तलाशी के दौरान, उसके घर से 62,000 रुपये की बेहिसाब नकदी और रियल स्टेट में निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।आरोपी को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया इसके बाद शुक्रवार को उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जाल बिछाकर दबोचा था

शिकायत में लगाए गए आरोपों की की जांच के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के उप मुख्य अभियंता-द्वितीय नारायण सिंह बुंदेला को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरूवार देर रात सागर में शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये का अनुचित लाभ मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों धरदबोचा था। आरोपी ने उप मुख्य अभियंता ने अनुबंध कार्य से संबंधित सुरक्षा जमा राशि की रिहाई, लंबित बिलों के भुगतान और पीवीसी बकाया के रूप में शिकायतकर्ता से लगभग 1 करोड़ रुपये की अनुचित राशि यानी 1,00,000 रुपये की मांग की थी।

नदी के बीच अस्थायी सड़क बनाकर कैसे रोका नैसर्गिक प्रवाह

हाईकोर्ट ने सरकार सहित अन्य से मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जेके पिल्लई की ग्रीष्म अवकाशकालीन युगलपीठ ने नदी के बीच अस्थायी सड़क बनाकर नैसर्गिक प्रवाह रोके जाने के आरोप को गंभीरता से लिया। युगलपीठ ने मामले में राज्य शासन व संबंधित ठेकेदार फर्म एसोसिएट कामर्स सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई जून के तीसरे सप्ताह के बाद नियत की है।

जनहित याचिकाकर्ता अनूपपुर अंतर्गत बिजुरी निवासी प्रकाश सिंह परिहार की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि जिले की केवई नदी में अवैध रेत उत्खनन जारी है। यही नहीं नदी के बीच में अस्थायी सड़क बनाकर नैसर्गिक प्रवाह को बाधित कर दिया गया है। न्यायालय को बताया गया कि जिले की 18 रेत खदानों (कुल क्षेत्रफल 89.421 हेक्टेयर) के संचालन के लिए ई-टेंडर जारी हुआ था। इसमें नर्मदापुरम के पिपरिया स्थित फर्म एसोसिएट कामर्स ने लगभग 17.75 करोड़ रुपये की सर्वाधिक वार्षिक बोली लगाकर ठेका हासिल किया था। खनिज विभाग द्वारा अनुमति के बाद कोतमा तहसील के ग्राम गोहन्द्रा स्थित आराजी नंबर 843, 846 एवं 847 की भूमि पर रेत खनन शुरू किया गया। खनन कार्य के दौरान ठेकेदार ने केवई नदी की मुख्य जलधारा के बीच अस्थायी सड़क का निर्माण कर दिया, जिससे नदी का जल प्रवाह अवरुद्ध हो गया।

पांच साल संबंध में रहने के बाद दर्ज करवाई बलात्कार की रिपोर्ट

पांच साल तक संबंध में रहने के बाद दर्ज करवाये गये बलात्कार के अपराध में हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस देव नारायण मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्ष बालिग हैं और संबंध में अपनी मर्जी से शामिल थे। एकलपीठ ने आवेदन को आदेशित किया है कि पुलिस अधिकारी के निर्देश पर मेडिकल जांच के लिए उपस्थित रहे। सिंगरौली निवासी राजेष चर्माकर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि शादीशुदा है और उसकी पहचान साल 2020 में पीड़ितों से हुई थी। पीड़ित के पति की हार्ट अटैक से मौत हो गयी थी। इसके बाद दोनों में संबंध स्थापित हो गये और वह पीडित की आर्थिक रूप से मदद करता था। पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी करते हुए आवेदक को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। एकलपीठ ने आवेदक यह भी निर्देश दिये है कि वह जांच एजेंसी का सहयोग करे और जांच अधिकारी द्वारा बताई गई तारीख और समय पर पेश हो। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विशाल डेनियल ने पैरवी की।

विद्यार्थियों की बनेगी अपार आईडी

जबलपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 1 जून से 30 जून तक प्रत्येक शनिवार मेगा अपार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई एवं सत्यापित की जाएगी। जिनकी आईडी अभी तक नहीं बनी है अथवा तकनीकी कारणों से लंबित है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान करने के लिए अपार आईडी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विद्यार्थियों के सम्पूर्ण शैक्षणिक जीवन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करती है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों, अंकसूचियों, प्रमाण-पत्रों एवं अन्य उपलब्धियों का सुरक्षित और एकीकृत डिजिटल संधारण संभव हो सकेगा।

1.35 करोड़ की सरकारी गेहूं खरीद में हेराफेरी

घोटाला :10 पर एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। पिपरिया टगर, अन्नपूर्णा वेयर हाउस, मझौली में गेहूं घोटाला उजागर हुआ। 1.35 करोड़ की सरकारी खरीद में हुई हेराफेरी मामले में पुलिस ने भूमि ग्राम संगठन हटौली की अध्यक्ष रीना लोधी समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी अनुसार कलेक्टर एवं जिला उपार्जन समिति अध्यक्ष जबलपुर के आदेश के तहत भूमि ग्राम संगठन हटौली समिति को माँ अन्नपूर्णा वेयर हाउस 102, पिपरिया टगर में गेहूं उपार्जन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोपियों ने फायदा उठाते हुए 5168.70 क्विंटल सरकारी गेहूं गायब कर दिया। कागजों और रिकॉर्ड में हेराफेरी कर कुल 1,35,67,837.50 की शासकीय राशि का गबन किया गया। उपार्जन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा ने एक संयुक्त जांच दल का गठन किया था। इस टीम में अंजुला झा जिला परियोजना प्रबंधक, सीमा बौरसिया जिला आपूर्ति अधिकारी, दिलीप हनवत तहसीलदार, मझौली शामिल थे। जांच दल ने जब मौके पर रिकॉर्ड, स्टॉक और भौतिक सत्यापन किया, तो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हेराफेरी पाई गई। टीम ने तत्काल इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी।

4444 बारदानों की फर्जी एंट्री की दर्ज

जांच के दौरान भूमि ग्राम संगठन हटौली केन्द्र क्रमांक 1 केन्द्र अन्नपूर्णा वेयरहाउस के भौतिक सत्यापन में 5168.70 क्विंटल गेहूं कम (शर्टेज) पाया गया। जिसका कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1,35,67,837.50 रूपये है। उपार्जन केन्द्र को मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कर्पोरेशन के द्वारा 92250 वारदाने प्रदान किए गए, जबकि उपार्जन पोर्टल पर दर्ज खरीदी मात्रा 48347.07 क्विंटल के अनुसार प्रयोग किए गए बारदानों की कुल संख्या 96694 है। इस प्रकार उपार्जन केन्द्र पर 4444 बारदानों की फर्जी आवक को ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज किया गया, जिससे खरीदी की फर्जी एन्ट्री पोर्टल पर दर्ज हो सकी है। उपार्जन केन्द्र में किसानों के पंजीयन में गेहूं खरीदी की प ऊर्जी एन्ट्री की गई और केन्द्र पर शार्टेज (कमी) आई।

ये बने आरोपी

उच्च स्तरीय जांच दल की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रीना लोधी अध्यक्ष, भूमि ग्राम संगठन हटौली, समेत मयूरी लोधी, शुभम बर्मन, अमन पाण्डेय, आकाश पाण्डेय, अनिल पटेल, आनंद भारसाकले, प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रकाश पाण्डेय, रिन्कू साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी बनाया है।

कई किसानों के हस्ताक्षर नहीं मिले

मौके पर संगठन अध्यक्ष एवं खरीदी केन्द्र प्रभारी रीना लोधी से आवक रजिस्टर जप्त किया गया जिसकी जांच करने पर कई किसानों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। उपार्जन केन्द्र पर लाए गए वाहनों का विवरण, उपज लेकर लाए गए व्यक्ति का नाम, किसान से संबंध, किसान का पते की पूर्ण जानकारी आवक रजिस्टर में दर्ज नहीं पाई गई। उपार्जन केन्द्र में गेहूं विक्रय करने वाले सभी किसानों की जानकारी भी आवक पंजी में दर्ज नहीं पाई गई उपार्जन केन्द्र पर किसानों से वारदाने में गेहूं की भराई, तुलाई एवं सिलाई की राशि 6 रूपये प्रति/बारदाना लिया जाना पाया गया। उक्त से उपार्जन केन्द्र में अतिरिक्त रूप से गेहूं एवं राशि लिया जाना पाया गया। उपार्जन पोर्टल पर ऐसे किसानों के पंजीयन पर गेहूं की फीडिंग कराई गई, जो उपार्जन केन्द पर गेहूं लेकर नहीं आए। इसके अलावा अ न्य गड़बड़ियां जांच के दौरान मिली।

72 घंटे में देनी होगी फायर ऑडिट रिपोर्ट : निगमायुक्त

निगमायुक्त ने दिये सभी संबंधितों को कड़े निर्देश

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक, 2026 के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रावधानों के आलोक में नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नगर निगम ने एक बेहद सुरक्षात्मक मुहिम शुरू की है। इस संबंध में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने देश के अन्य हिस्सों में हुई दुखद अग्नि दुर्घटनाओं के प्रकाश में नगर निगम के अग्निशमन और भवन शाखा को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि शहर के सभी कमर्शियल हब्स की जांच टीम के साथ करें और अग्नि सुरक्षा के सभी मानकों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने ने जबलपुर सीमा में आने वाले सभी होटलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, मॉल, गोदामों, मैरिज गार्डनों और औद्योगिक इकाइयों को भी 72 घंटे के भीतर 8 जून 2026 की शाम 06:00 बजे तक अपनी विस्तृत फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल बिल्डिंग में अग्निशामक यंत्र रखना काफी नहीं होगा, बल्कि स्प्रिंकलर, फायर पंप, इमरजेंसी एग्जिट, और अलार्म सिस्टम जैसी हर एक व्यवस्था का चालू हालत में होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समय रहते फायर सेफ्टी ऑडिट होने से किसी भी संभावित खतरे को पहले ही पहचान कर ठीक कर लिया जाएगा, जिससे भविष्य में होने वाले हादसों को टाला जा सकेगा। अस्पतालों और होटलों जैसी जगहों पर मरीजों और आम जनता की सुरक्षा 100 प्रतिशत पुख्ता होगी। नए नियमों के तहत अब इन संस्थानों के स्टाफ को फायर ड्रिल और आपातकालीन स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

दो दिन आंधी, बारिश की चेतावनी

नवभारत,जबलपुर। शुक्रवार को सुबह से सूर्यदेव तमतमाये रहे लेकिन दिनभर धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा। बादलों ओर सूरज के के बीच आंख-मिचौली का खेल चला। सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से दो दिन तक मौसम का मिजाज बिगडा रहेगा। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके साथ ही आने वाले 6-10 जून को जिले में दिन का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने और 6-7 जून में आंधी के साथ वर्षा की संभावना है। दीर्घवादी पूर्वानुमान में पूर्वी मध्य प्रदेश में 10-18 जून में तापमान बढ़ने एवं वर्षा नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर 3.1 किमी ऊँचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में स्थित है। एक प्रेरित ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण, जो पहले मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर था, अब जम्मू एवं आसपास के क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से लगभग 1.5 किमी ऊँचाई तक फैला हुआ है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 62 और शाम को 49 प्रतिशत दर्ज की गई। पश्चिमी हवाएं 5 से 6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

तबीयत बिगड़ने पर यात्री को तत्काल मिला इलाज

जबलपुर, नवभारत। यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में रेलवे हेल्पलाइन 139 रेल मदद के माध्यम से ट्रेन संख्या 15599 में यात्रा कर रहे एक यात्री की अस्वस्थता की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 15599 में यात्रा कर रहे यात्री सौरभ 21 वर्ष जो इटारसी से दानापुर की यात्रा कर रहे थे, को यात्रा के दौरान दस्त, उल्टी एवं चक्कर आने की शिकायत हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हेल्पलाइन 139 रेल मदद के माध्यम से चिकित्सा सहायता हेतु कॉल दर्ज की गई। सूचना प्राप्त होते ही संबंधित स्टेशन पर उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) एवं रेलवे चिकित्सा विभाग की इमरजेंसी क्लीनिक टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन के आगमन पर यात्री को अटेंड किया। पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के बाद यात्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई।

उपचार की व्यवस्था की गई

इसके उपरांत रेलवे प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था कर यात्री को निकटवर्ती शासकीय अस्पताल भेजा गया, जहां उसके समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यात्री की सुरक्षा एवं सहायता के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के एक कर्मचारी को भी उसके साथ भेजा गया।

पुरानी रंजिश में घर पर फेंके बम

नवभारत, जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत दुर्गा चौक पर स्थित एक घर को बदनाम ने पुरानी रंजिश पर निशाना बनाते हुए बैक-टू-बैक दो सुअरमार बम पटके। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, हनुमानताल के बड़ी खेरमाई दुर्गा चौक निवासी श्रीमती पिंकी गुप्ता (39) का बेटा यश गुप्ता बीते तीन महीने से इंदौर में रह रहा है। पिंकी गुप्ता अपने घर के भीतर थीं। इसी दौरान अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर एक के बाद एक दो जोरदार धमाके हुए। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल उठा। पीड़िता पिंकी गुप्ता ने पुलिस को बताया कि धमाके की आवाज सुनकर जब वह दौड़कर बाहर आईं, तो चारों तरफ धुआं फैला था। दरवाजे पर धागे, बारूद, कागज और पत्थरों के टुकड़े बम के अवशेष बिखरे हुए थे। उन्होंने बाहर देखा तो सिंधी कैम्प भानतलैया का रहने वाला कुख्यात तत्व सम्राट सोनकर अपने एक साथी के साथ स्कूटी पर बैठकर भाग रहा था। जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, तो उसमें पूरी करतूत साफ नजर आई। आरोपी सम्राट सोनकर स्कूटी से आया। उसने पिंकी गुप्ता के मकान को निशाना बनाकर पहला बम पटका, जो नहीं फटा। इसके तुरंत बाद उसने दूसरा सुअरमार बम दरवाजे पर दे मारा, जो जोरदार आवाज के साथ फट गया। आरोपी सम्राट सोनकर की पिंकी गुप्ता के बेटे यश से पुरानी दुश्मनी चल रही है। इसी रंजिश का बदला लेने और पूरे इलाके में अपनी दहशत कायम करने के इरादे से बदमाश ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि उस वक्त दरवाजे के पास कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। पुलिस मौके पर पहुंची और बम के अवशेषों को जब्त किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी सम्राट सोनकर और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बैठक मैराथन बैठक में कहा- शहर का होगा कायाकल्प, 5 करोड़ के नए कार्य किए गए स्वीकृत

विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : महापौर

नवभारत,जबलपुर। जलप्लावन से नागरिकों को राहत, गड्ढा मुक्त सड़कें और सौन्दर्यीकरण को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' ने निगम के अधिकारियों और यंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़कों के कायाकल्प और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा।

बैठक में महापौर ने सड़कों के सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ गोहलपुर पुलिया चौड़ीकरण के

कार्य बहुत आकर्षक सौन्दर्यीकरण के लिए 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ 15 जून से पार्षदों के अनुशंसा के अंतर्गत होने वाले कार्यो के लिए 30 लाख रूपये के कार्य की स्वीकृति भी दी।

3 दिन में शुरू होगा डामलीकरण

बैठक में महापौर ने कहा कि शहर की प्रमुख सड़कों के पैंचवर्क और री-सरफेसिंग का कार्य आगामी 3 दिनों के भीतर तीव्रगति से शुरू कर दिया जाएगा। महापौर ने इस मौके पर सड़कों के सुदृढ़ीकरण को और विस्तार देते हुए 5 करोड़ रूपये की लागत के नए डामलीकरण कार्यों को मंजूरी दी।साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारों और फुटपाथों को व्यवस्थित करने के लिए स्वीकृत 5 करोड़ रूपये के पेवर ब्लॉक संबंधी कार्यों को अगले 7 दिनों में अनिवार्य रूप से प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

सितंबर तक होगा पूरा होगा गोहलपुर पुलिया का काम

यातायात के दबाव को कम करने और क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए गोहलपुर पुलिया परियोजना को गति दी गई है। महापौर ने निर्देश दिए कि गोहलपुर पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य सितंबर माह तक पूर्ण कर लिया जाए। पुलिया निर्माण के साथ-साथ क्षेत्र के परिवेश को आकर्षक बनाने के लिए 25 लाख की अतिरिक्त लागत से ब्यूटिफिकेशन के कार्य कराए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र साफ-सुथरा और सुंदर नजर आए।

पार्षद अनुशंसा के 30-30 लाख के कार्य की स्वीकृति

महापौर ने आगामी 15 जून से पार्षदों की अनुशंसा पर किए जाने वाले 30-30 लाख रूपये तक के विकास कार्यों को शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। इससे वार्ड स्तर पर नालियों, आंतरिक सड़कों और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े स्थानीय कार्य तेजी से पूरे हो सकेंगे। बैठक में एम.आई.सी. सदस्य एवं विभाग प्रभारी विवेक राम सोनकर, अपर आयुक्त व्ही.एन. बाजपेयी, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र मिश्रा एवं शैलेन्द्र कौरव सहित सभी संभागीय यंत्री और सहायक यंत्री मुख्य रूप से उपस्थित रहे।